न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 29/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 26.12.2016

प्रार्थी **बनाम** **प्रार्थीगण**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर	1.	विमला पत्नि राजकुमार सोनी निवासी रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1 पैराकार सरकार (प्रार्थीगण) उपस्थित

2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 15.06.2022**

प्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा रायपुर पटवार मण्डल रायपुर 2 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1456/79 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम में स्थित हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ कार्य हेतु दी गई हैं। जबकि अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण कराये कृषि भिन्न कार्य उपयोग में ली जा रही हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का स्पष्ट उल्लघंन हैं। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को प्लॉट एवं निर्माण कार्य में उपयोग में ली जा रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को भूमि सरहद मौजा रायपुर पटवार मण्डल रायपुर 2 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1456/79 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कर भूमि को सिवायचक घोषित कर बहक राज्य सरकार लेने के आदेश प्रदान करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जबाव जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित एवं अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा वकालतनामा हेतु समय चाहा गया था, जो आजदिनांक तक पेश नहीं किया हैं। अप्रार्थी को पूर्व में भी पर्याप्त समय देने के बावजूद भी आज दिनांक तक न्यायालय में संपरिवर्तन आदेश या जबाव पेश नहीं किया हैं। इसीलिए अप्रार्थीगण की ओर जबावदेही बंद कर या संपरिवर्तन आदेश पेश नही करने से एकतरफा बहस की गई। बहस एकतरफा समायत की गई। बहस के दौरान प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण को भूमि सरहद मौजा रायपुर पटवार मण्डल रायपुर 2 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1456/79 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कर भूमि को सिवायचक घोषित कर बहक राज्य सरकार लेने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बहस एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरहद मौजा रायपुर पटवार मण्डल रायपुर 2 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1456/79 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम में अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का उल्लघंन किया गया हैं। अतः खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने एवं धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के बेदखली के आदेश किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा रायपुर पटवार मण्डल रायपुर 2 तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1456/79 रकबा 02 बिस्वा किस्म चाही दोयम से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को सिवायचक घोषित करने एवं तहसीलदार रायपुर को भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)